

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

थी लक्ष्मी कुंवर विपक्षी पदीशिए
किसम मुकदमा अपील पत्रावली संख्या 3 सन् 19

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई |
|---------|--|---|
| 21-5-24 | <p>पत्रावली पेश हुई। न्यायालय हाजा को राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 को चुनने का क्षेत्राधिकार है। चुनने अपील धारा 75 लेज रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत आती है एवं न्यायालय हाजा को इसका क्षेत्राधिकार नहीं होने से न्यायालय उपरोक्त अधिकारी गिर्वा को पुनः लौटाया जा रहा है। प्रकरण आगामी पेश दिनांक 2-7-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> | |

